उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य एवं रसद अनुभाग–6
संख्या– 833 /29–6–16–116सा/14
लखनऊ : दिनॉक 22 अप्रैल, 2016

– कार्यालय ज्ञाप –

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या– 20 सन् 2013) की धारा– 8, 12, 14, 15, 27, 28 और 29 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–40 के अधीन खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–178/29–6–2016–116सा/14, दिनांक 20–01–2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियमावली, 2015 के नियम–4 की व्यवस्थाओं के तहत श्री राज्यपाल निम्नवत् जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त/पदाभिहित करते हैः–

(क) उन जनपदों में जहॉ अपर जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक आपूर्ति) के पद विद्यमान हैं, वहॉ अपर जिला मजिस्ट्रेट (नागरिक आपूर्ति),
(ख) मण्डलीय मुख्यालय के जिलों के लिए सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
(ग) उक्त के अतिरिक्त शेष जिलों में यथास्थिति संयुक्त आयुक्त (खाद्य)/उपायुक्त (खाद्य)।

शाशि भूषण लाल सुशील
विशेष सचिव।

संख्या– 833 (1)/29–6–2016तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
(3) समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
(4) समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,उ0प्र0।
(5) समस्त संयुक्त आयुक्त (खाद्य)/उपायुक्त (खाद्य),उ0प्र0।
(6) समस्त सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकरी,उ0प्र0।
(7) समस्त जिलापूर्ति अधिकारी,उ0प्र0।
(8) समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।
(9) गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

uo-2